सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी 2.0
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0
अन्तर्गत रैपिड असेसमेंट सर्वे

छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़

13 नवम्बर, 2024

रूपरेखा

1. योजना का उद्देश्य एवं कवरेज
2. पात्रता की शर्तें
3. योजना के घटक
4. यूनिफाईड वेब पोर्टल
5. रैपिड असेसमेंट सर्वे
6. सर्वेक्षण पूर्व की जाने वाली तैयारियां
7. लाभार्थी चयन हेतु समितियां

1. योजना का उद्देश्य एवं कवरेज

योजना का उद्देश्य :-

- PMAY-U 2.0 योजना भारत सरकार द्वारा 01 सितम्बर, 2024 से 05 वर्षों हेतु लागू।
- योजना अन्तर्गत देशभर में 1 करोड़ पात्र शहरी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।
- एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल।

कवरेज :-

- राज्य के सभी क्षेत्र जहां शहरी नियोजन और विनियमन लागू।
- ऐसे शहरी क्षेत्र जहां PMAY-U लागू हैं, उन्हें भी PMAY-U 2.0 का लाभ मिलेगा।
- नवगठित नगरीय निकाय, जिन्हें PMAY-U का लाभ नहीं मिला है, उन्हें भी PMAY-U 2.0 का लाभ मिलेगा।
- PMAY-U 2.0 राज्य के समस्त 189 नगरीय निकायों में लागू।

2. पात्रता की शर्तें

ऐसे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास न हो।

योजना के 04 घटकों में से किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

पिछले 20 वर्षों में किसी भी शासकीय आवासीय योजना में लाभ प्राप्त न किया हो।

*समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता।

**योजना अन्तर्गत चिन्हित अन्य समूहों पर विशेष ध्यान।

पूर्व आवासीय योजनाओं में यदि हितग्राही के माता-पिता को पक्का आवास प्राप्त है, तो उनके आवेदन को द्वितीय श्रेणी की वरीयता प्रदान की जावेगी।

PMAY-U में 31 दिसम्बर 2023 के पश्चात् कर्टेल्ड हितग्राही, PMAY-U 2.0 में पात्र नहीं होंगे।

लाभार्थी PMAY-U 2.0 या PMAY-G (ग्रामीण) में से केवल एक योजना हेतु पात्र होंगे।

योजना अन्तर्गत पूरे परिवार का आधार/वर्चुअल आधार अनिवार्य।

पात्र लाभार्थी को 31 अगस्त 2024 (Cut-off-date) से पूर्व निकाय क्षेत्र में निवासरत् होना अनिवार्य।

* विधवाएं, एकल महिलाएं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक

** सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि एवं पीएम विष्वकर्मा योजना लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गी/चॉल के निवासी

3. योजना के घटक

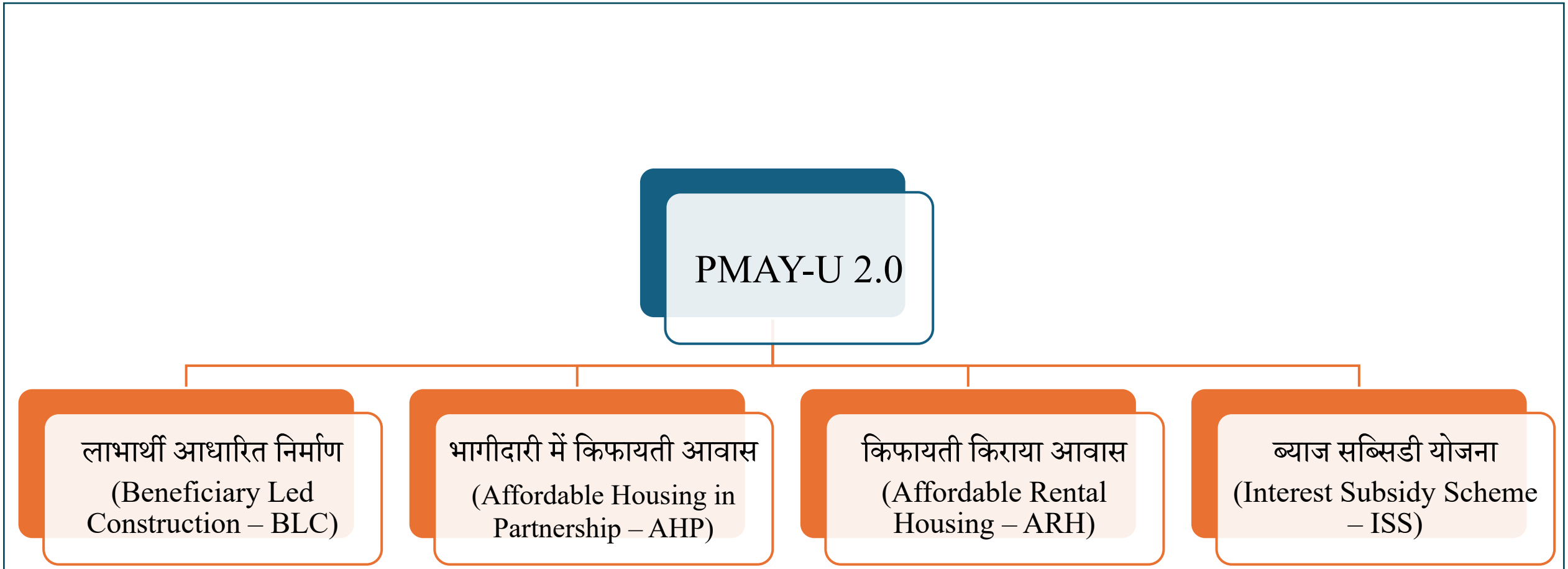
PMAY-U 2.0
लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary Led Construction – BLC)
भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership – AHP)
किफायती किराया आवास (Affordable Rental Housing – ARH)
ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme – ISS)

3. योजना के घटक (Contd…)

1. लाभार्थी आधारित निर्माण (Beneficiary Led Construction – BLC)

1. स्वयं के स्वामित्व भूमि पर नए पक्के आवास बनाने हेतु वित्तीय सहायता
2. भवन सुरक्षा और डिजाइन मानकों के अनुरूप 30 से 45 sqm कारपेट एरिया के पक्के आवास
3. निर्मित नए पक्के आवास में दो कमरे, रसोई और शौचालय/बाथरूम का संयोजन होगा
4. मौजूदा आवास की वृद्धि, विस्तार और नवीनीकरण की अनुमति नहीं होगी
5. इस घटक में लाभ हेतु इच्छुक लाभार्थी को निकाय के माध्यम से यूनिफाईड वेब पोर्टल में अपनी मांग दर्ज करनी होगी।

3. योजना के घटक (Contd…)

2. भागीदारी में किफायती आवास
(Affordable Housing in Partnership – AHP)

मॉडल 01: सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और पैरास्टेटल द्वारा EWS लाभार्थियों के लिए आवासों का निर्माण

- EWS लाभार्थियों हेतु
- टेनेबल स्लम में इन-सीटू आवास
- अनटेनेबेल स्लम के लिए पुनर्वास आवास योजनाएं

मॉडल 02: निजी क्षेत्र की एएचपी परियोजनाएं

- रियल एस्टेट मार्केट से खरीदे गए आवास का 'हाउसिंग वाउचर' के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त करना

3. योजना के घटक (Contd…)

3. किफायती किराया आवास (Affordable Rental Housing – ARH)

मॉडल 01: सरकार द्वारा वित्त पोषित मौजूदा खाली आवासों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएच में परिवर्तित करना

- नगरीय निकायों द्वारा पूर्व के खाली/अप्रयुक्त आवासों को किराये पर देने का प्रावधान।
- नगरीय निकाय द्वारा इन आवासों को स्वयं/कंसेसनायर के माध्यम से रहने योग्य बना कर किराये पर दिया जावेगा।
- मरम्मत/रेट्रोफिटिंग का कार्य निकाय/कंसेसनायर द्वारा स्वयं के स्रोत से किया जावेगा, वसूली किराये से की जावेगी।

मॉडल 02: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदा, संस्थानों के कर्मचारियों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराये के आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव

- सार्वजनिक/निजी संस्थाएं एआरएच अन्तर्गत आवासों का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव करेंगी।
- संस्था द्वारा भूमि व्यवस्था एवं परियोजना वित्त पोषण किया जावेगा।
- इस घटक अन्तर्गत सिंगल बेडरूम (30 sqm), डॉरमेट्री (10 sqm) एवं डबल बेडरूम (60 sqm) का निर्माण किया जा सकेगा।

3. योजना के घटक (Contd…)

4. ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme – ISS)

- केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में ब्याज सब्सिडी योजना क्रियान्वित।
- 01.09.2024 या उसके बाद स्वीकृत होम लोन हेतु पात्र लाभार्थियों हेतु सब्सिडी।
- ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1.80 लाख।
- केवल 5 वर्षों से अधिक ऋण वाले लाभार्थी पात्र।
- सब्सिडी अधिकतम कारपेट क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर हेतु।
- लाभार्थियों को सब्सिडी 5 समान वार्षिक किस्तों में जारी की जाएगी।

मानदंड	EWS/ LIG/ MIG
वार्षिक पारिवारिक आय (रू.)	राशि रू. 9 लाख तक
ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष)	4.0%
अधिकतम पात्र आवास ऋण (रू.)	राशि रू. 25 लाख
अधिकतम गृह मूल्य (रू.)	राशि रू. 35 लाख
अधिकतम कारपेट एरिया (तक)	120 वर्ग मीटर
ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ (रू.) - वास्तविक रिलीज	राशि रू. 1.80 लाख
ब्याज सब्सिडी का अधिकतम लाभ (रू.) - एनपीवी	राशि रू. 1.50 लाख

4. यूनिफाईड वेब पोर्टल एवं एम.आई.एस.

- योजना के निगरानी एवं मूल्याकंन के लिए वेब पोर्टल डेवलप किया जावेगा। जिसमें परियोजनाओ के प्रगति का रियल टाईम मॉनिटरिंग किया जा सकेगा।
- हितग्राहियों द्वारा स्वयं भी आवेदन किया जा सकता है, साथ ही साथ आवेदन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
- योजना से जुड़े समस्त हितधारकों द्वारा इस पोर्टल से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी ।

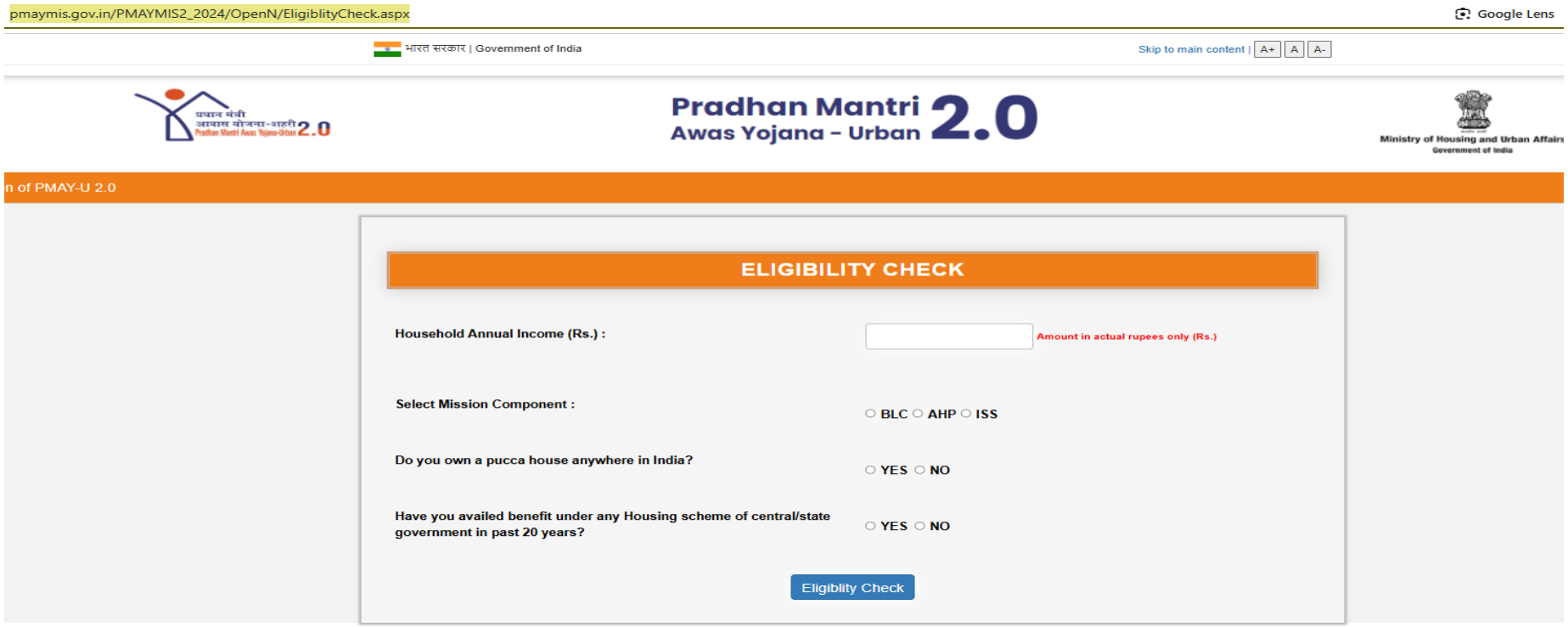

5. रैपिड असेसमेंट सर्वे - समस्त नगरीय निकायों में 15 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ (Contd…)

रैपिड असेसमेंट सर्वे - प्रक्रिया

1. नगरीय निकायों में रैपिड अससेमेंट सर्वे का कार्य 15 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ।
2. सर्वे अन्तर्गत संभावित लाभार्थियों का विवरण यूनिफाईड वेब पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा।
3. पोर्टल पर दर्ज आवेदनों के आधार पर निकायों द्वारा 05 वर्षों हेतु हाउसिंग प्लान तैयार किया जावेगा।
4. यूनिफाईड वेब पोर्टल में दर्ज आवेदन के प्रिंट आउट पर लाभार्थी एवं निकाय के नोडल अधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना एवं आवेदन को निकाय में संरक्षित किया जाना।

5. रैपिड असेसमेंट सर्वे - समस्त नगरीय निकायों में 15 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ (Contd…)

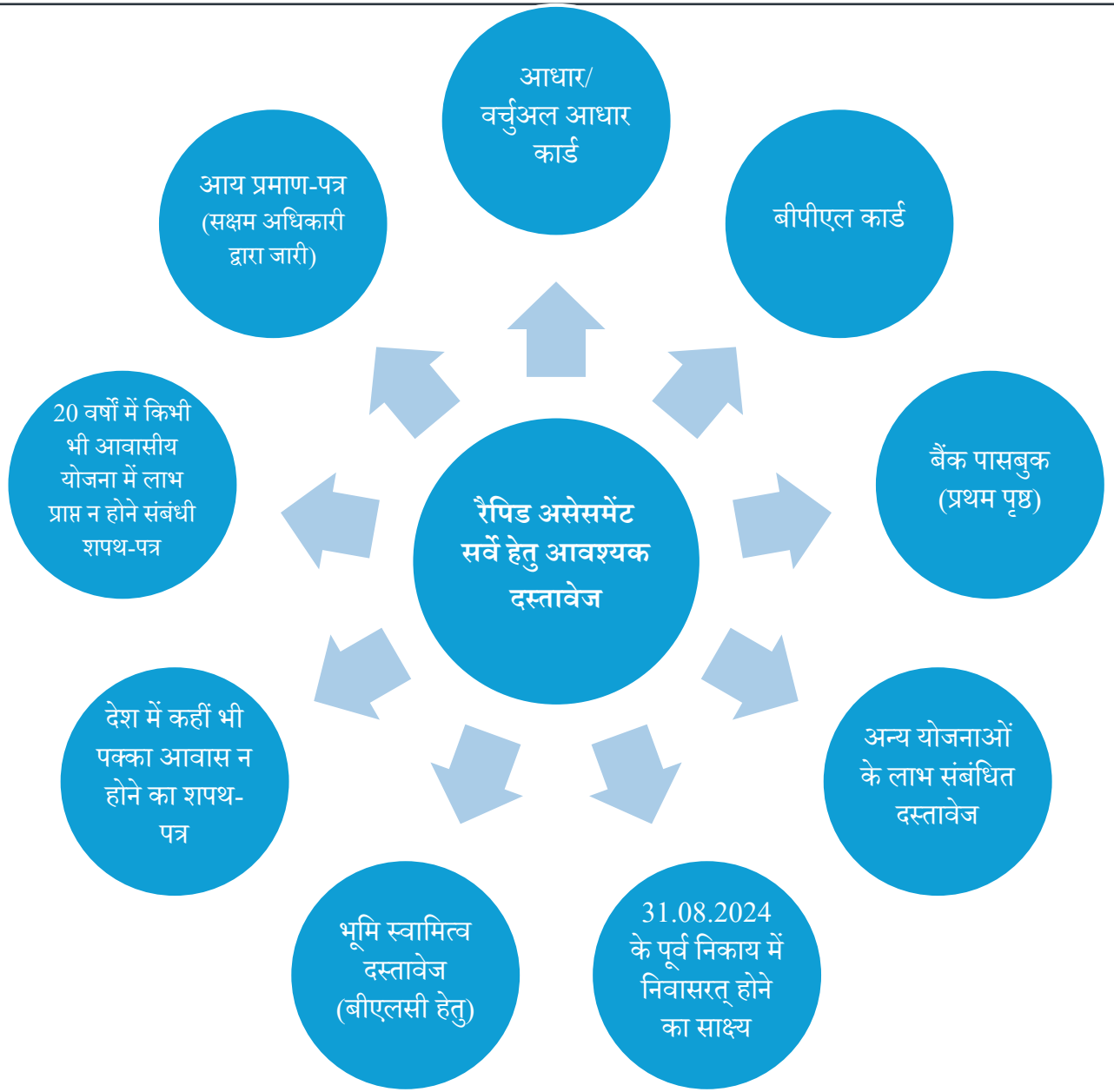

5. रैपिड असेसमेंट सर्वे - समस्त नगरीय निकायों में 15 नवम्बर, 2024 से प्रारंभ (Contd…)

रैपिड असेसमेंट सर्वे का चरणबद्ध क्रियान्वयन

Step-1
- रैपिड असेसमेंट सर्वे अन्तर्गत प्रथम चरण में निकाय में PMAY-U अन्तर्गत विगत 02 वर्षों में प्राप्त ऐसे लाभार्थियों के आवेदन, जिन्हें PMAY-U का लाभ नहीं मिला है, उन लाभार्थियों से संपर्क कर उनका विवरण यूनिफाईड वेब पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा।

Step-2
- प्रथम चरण की समाप्ति उपरान्त शहर के प्रमुख स्थानों पर शिविर आयोजित कर इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर उनका विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा।

Step-3
- प्रथम एवं द्वितीय चरण उपरान्त निकाय में मांग Saturate करने के उद्देश्य से निकाय क्षेत्र अन्तर्गत सघन डोर-टू-डोर सर्वे किया जावेगा, जिससे योजना के पांच वर्षों की अवधि हेतु आवासीय मांग Saturated की जा सकेगी।

Step-4
- पूर्ण सर्वेक्षण उपरान्त जब निकाय यह सुनिश्चित कर ले कि, आवासीय मांग सेचूरेट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में पोर्टल पर दर्ज हितग्राहियों का वेलिडेशन प्रारंभ किया जावेगा।

Step-5
- निकाय स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुलग्नक-4 अनुसार यूनिफाईड वेब पोर्टल पर निकाय-वार आवास योजना के ऑनलाइन प्रारूप में भरेंगे।

6. सर्वेक्षण पूर्व की जाने वाली तैयारियां

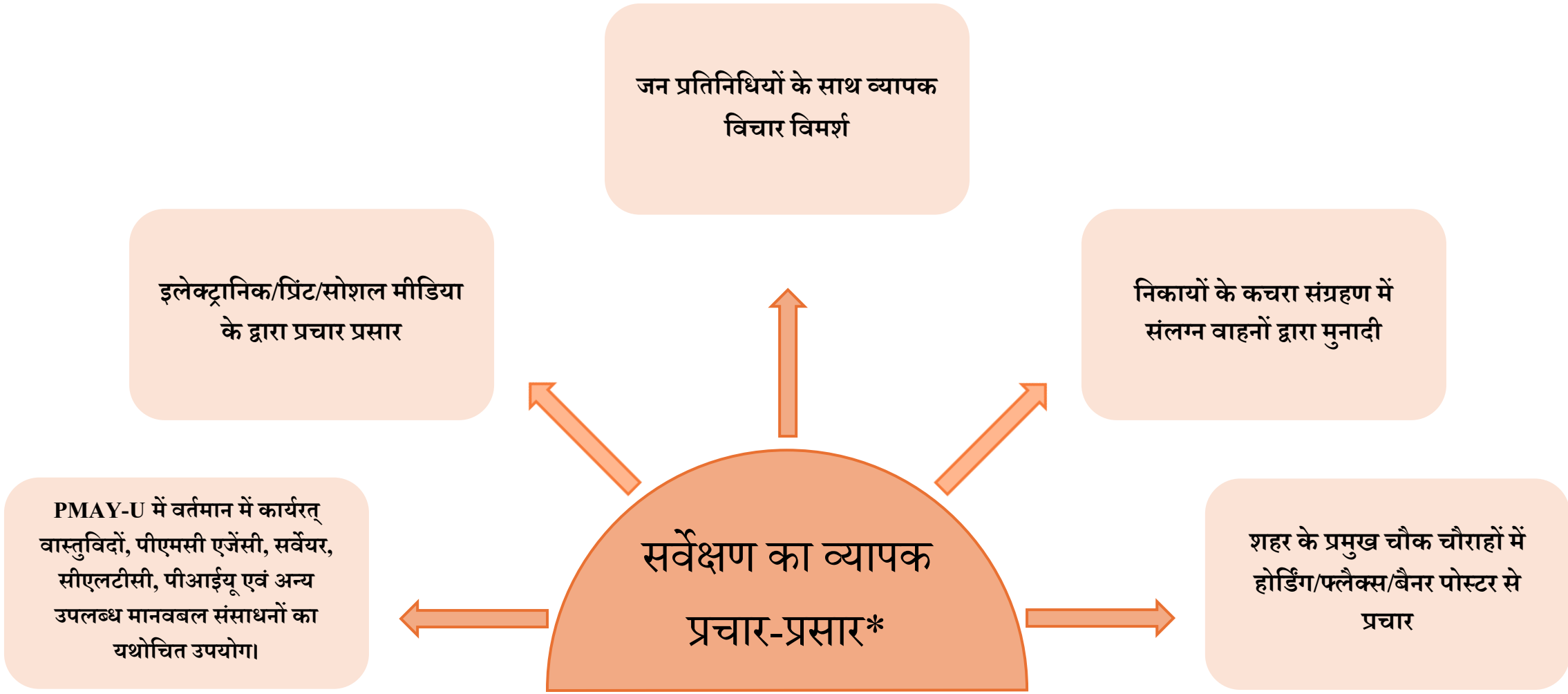

*अधिकतम पात्र आवेदक/लाभार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किये जाने के लिए, प्रचार-प्रसार हेतु अन्तर्गत सूडा द्वारा नगरीय निकायों को राशि प्रदान की जावेगी।

7. लाभार्थी चयन हेतु समितियां

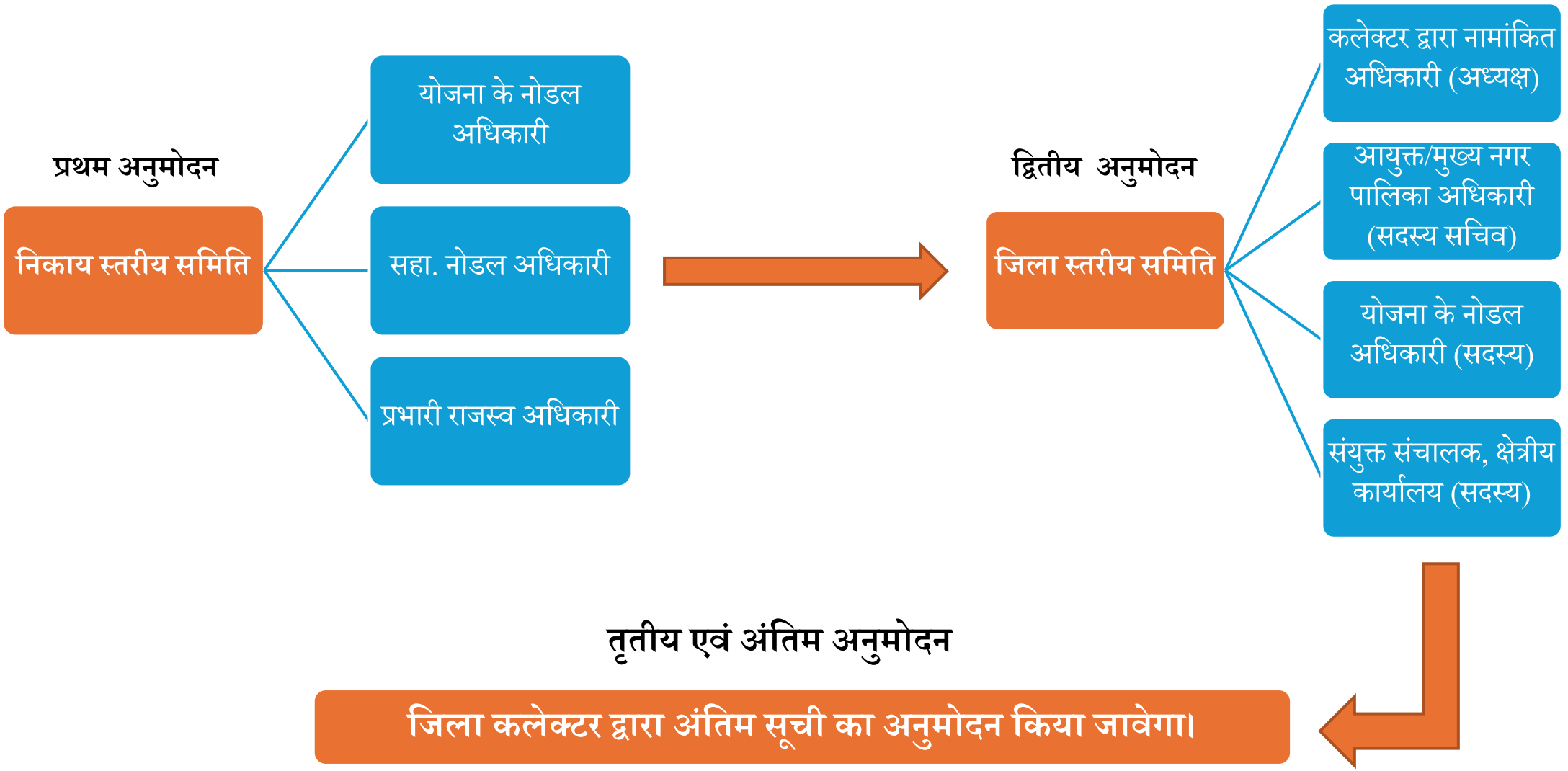

धन्यवाद!

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2.0
मोर जमीन–मोर मकान (बीएलसी)

भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2.0 सबके लिये आवास मिशन 05 वर्षों के लिये प्रारंभ किया गया है। जिसके मोर जमीन–मोर मकान (बीएलसी) घटक के क्रियान्वयन हेतु रैपिड असेसमेंट सर्वे दिनांक 15 नवंबर 2024 से 10 दिसंबर 2024 तक सभी जोनों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक है। इस हेतु आवेदक निम्न दस्तावेज के साथ अपने नजदीकी जोन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है:–

/ /आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज/ /

1. लाभार्थियों को निर्धारित कटऑफ तिथि–दिनांक 31.08.2024 के पूर्व नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निवासरत् होने का कोई साक्ष्य दस्तावेज यथा–भूमि का पट्टा/विद्युत देयक रसीद/सम्पत्तिकर रसीद/समेकित कर रसीद/राशन कार्ड/मतदाता सूची/किरायानामा/निवास प्रमाण–पत्र/अन्य शासकीय दस्तावेज/वर्ष 2011 जनगणना सूची में नाम प्रस्तुत करना होगा ।
2. देश में किसी भी स्थान पर पक्का मकान न होने का आवेदक द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र /20 वर्ष से किसी भी आवासीय योजना में लाभ प्राप्त न होने संबंधित शपथ पत्र।
3. परिवार के सभी सदस्यों का आय रू. 3.00 लाख से कम हो।(सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र)
4. आधार कार्ड – पूरे परिवार के सदस्यों का (माता एवं पिता सहित)
5. भूमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज (शासन द्वारा प्रदत्त जीवित पट्टा/रजिस्ट्री संबंधित दस्तावेज/आबादी पट्टा भूमि स्वामित्व संबंधित दस्तावेज।
6. आवेदक का बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, जो आधार से लिंक हो। (आईएफएससी कोड, बैंक का विवरण सहित)
7. आवेदक का 01 पासपोर्ट साईज फोटो।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र।

➢ आवश्यक वैकल्पिक दस्तावेज हो तो (दस्तावेज होने पर प्राथमिकता एवं वरियता दी जावेगी)

1. दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
2. शासन की अन्य योजनाओं के लाभ संबंधित दस्तावेज/लाभार्थी कोड (केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत कनेक्शन/भागीरथी नल–जल योजना/एसबीएम–यू 2.0, डे–एनयूएलएम/एनएचएम/पीएम–सूर्यघर (सोलर) : मुफ्त बिजली योजना/आयुष्मान कार्ड/उज्ज्वला योजना संबंधित गैस कार्ड संख्या/उजाला योजना/विश्वकर्मा योजना लाभ/महिला बचत समुह द्वारा प्राप्त ऋण/स्वानिधि योजना) से लाभ लिए संबंधित दस्तावेज।
3. वरिष्ठ हो तो वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र।
4. बी.पी.एल. राशन कार्ड।

क्रमशः....

टीपः–

1. ऐसे लाभार्थी जिनके आवासों की पीएमएवाई–यू के तहत् राज्यों की अनुशंसा पर केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति सीएसएमसी द्वारा किसी भी कारण से दिनांक 31.12.2023 के बाद कटौती की गई है उन्हें पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत् आवास स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
2. पूर्व आवासीय योजनाओं में यदि हितग्राही के माता, पिता को पक्का आवास प्राप्त है तो उनके आवेदन को द्वितीय श्रेणी की वरियता प्रदान की जावेगी।

नोटः– पीएमएवाई–यू 2.0 के बीएलसी घटक की अधिक जानकारी के लिये अपने नजदीकी जोन कार्यालय के शिविर में एवं कार्यालय के हेल्प डेस्क नं.–7884032053 उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 (पीएमएवाई–यू 2.0)
बीएलसी के तहत लाभार्थी द्वारा सेल्फ अंडरटेकिंग

मैं _____ (लाभार्थी का पूरा नाम) सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी _____ (माता–पिता/पति का नाम) जन्मतिथि _____ वर्तमान में निवासी _____ (पता) _____(शहर/कस्बे का नाम _____ राज्य _____ (मोबाईल/सम्पर्क नंबर) _____ (आधार नंबर) _____ एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूं और निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. कि मेरे नाम पर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं है।
2. कि मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हूं और सभी स्त्रोतों से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/– रु. **(केवल तीन लाख रूपये)** तक है।
3. कि मैं वैध दस्तावेजों के साथ _____स्थित भूमि/संपत्ति का/की मालिक हूँ जहां आवास का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त भूमि, सभी कानूनी विवादों से मुक्त है और पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत् आवास के निर्माण के लिए उपयुक्त है।
4. कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है।
5. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए निर्धारित समय अवधि, अर्थात् पहली किस्त प्राप्त होने की तिथि से बारह महीने के भीतर अपने हिस्से की राशि का योगदान करते हुए आवास निर्माण पूर्ण करने तैयार हूँ।
6. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत निर्मित आवास का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करूंगा/करूंगी और किसी भी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
7. कि मैं अपने आवास के पूरा होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि तक पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत निर्मित आवास की बिक्री/हस्तांतरण नहीं करूंगा/करूंगी।
8. कि मैंने पीएमएवाई–यू 2.0 के किसी अन्य घटक के तहत आवेदन नहीं किया है/लाभ नहीं उठाया है।
9. कि मैं पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि पात्रता के संबंध में गैर–अनुपालन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से मैं न केवल योजना से अयोग्य घोषित किया जाऊंगा/जाऊँगी बल्कि पीएमएवाई–यू 2.0 योजना के तहत पहले से प्राप्त किसी भी लाभ की वसूली के साथ–साथ इसके कानूनी परिणाम भी होंगे। जिसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहुँगा/रहुँगी।

हस्ताक्षर

नाम– .....

तिथि– .....

स्थान– .....

क्र.....

नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत.....,जिला-.....

पीएमएवाई-यू 2.0 के सभी घटकों के लिए लाभार्थी सर्वेक्षण फॉर्म

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0

आवेदक का फोटो

1 परिवार के मुखिया (आवेदक) का नाम .....

2 आधार नंबर / वर्चुअल आधार आईडी नंबर .....

3 पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो) .....

4 जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) .....

5 लिंग (पुरुष 01, महिला 02, ट्रांसजेंडर 03) .....

6 पिता का नाम (आधार के अनुसार).....

7 पिता का आधार नंबर / वर्चुअल आधार आईडी नंबर .....

8 माता का नाम (आधार के अनुसार) .....

9 माता का आधार नंबर / वर्चुअल आधार आईडी नंबर .....

10 रोजगार की स्थिति (स्वरोजगार–01, वेतनभोगी–02, नियमित वेतन–03, श्रमिक–04, अन्य–99) .....

11 परिवार के मुखिया का व्यवसाय .....

12 शैक्षणिक योग्यता: (अशिक्षित–01 / मैट्रिक–02 / इंटरमीडिएट–03 / स्नातक–04 / स्नातकोत्तर–05 / डॉक्टरेट–06) .....

13 पारिवारिक श्रेणी: ईडब्ल्यूएस–01 / एलआईजी–02 / एमआईजी–03.....

14 क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है – हां / नहीं .....

15 औसत वार्षिक पारिवारिक आय (रूपए में) .....(संलग्न आय प्रमाण पत्र अनुसार)

16 धर्म (हिंदू–01, मुस्लिम–02, ईसाई–03, सिख–04, जैन–05, बौद्ध–06, पारसी–07, अन्य–99) .....

17. वैवाहिक स्थिति (विवाहित–01, अविवाहित–02, एकल महिला / विधवा–03) .....

18 विशेष फोकस समूह: .....

(सफाई कर्मी–01, पीएम–स्वनिधि के लाभार्थी–02, भवन एवं निर्माण श्रमिक–03, स्लम चॉल निवासी–04, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर–05, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–06, अन्य–99)

19 श्रेणी: (सामान्य–01, एससी–02, एसटी–03, ओबीसी–04) .....(संलग्न जाति प्रमाण पत्र अनुसार)

20 क्या वैधानिक शहर / शहरी स्थानीय निकाय से बाहर, लेकिन किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना / विकास क्षेत्र में रह रहे हैं। (हां / नहीं) .....

यदि हां :– **क.** विकास प्राधिकरण / अधिसूचित योजना क्षेत्र का नाम .....

ख. शहर / गाँव का नाम .....

21 योजना का वांछित घटक

क. लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) – 01

ख. भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) – 02

ग. किफायती किराया आवास (एआरएच) – 03

घ. ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) – 04

22 वर्तमान पता

मकान / फ्लैट नंबर .....सड़क / गली का नाम .....

शहर / कस्बा .....ज़िला .....

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र .....पिन कोड.....

ई–मेल ..... मोबाइल नंबर .....

23 स्थायी पता (यदि वर्तमान पता स्थायी पता के समान है तो चेक मार्क करें) ☐

मकान / फ्लैट नंबर .....सड़क / गली का नाम .....

शहर / कस्बा .....ज़िला .....

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र .....पिन कोड.....

ई–मेल ..... मोबाइल नंबर .....

24 पीएमएवाई–यू 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित मकान / फ्लैट का पता (संलग्न भूमि स्वामित्व दस्तावेज अनुसार)

मकान / फ्लैट नंबर .....सड़क / गली का नाम .....

शहर / कस्बा .....ज़िला .....

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र .....पिन कोड.....

ई–मेल ..... मोबाइल नंबर .....

25 वर्तमान शहर / कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं .....

26 वर्तमान घर की स्थिति– स्वयं का ☐ किराये का ☐ कोई घर नहीं ☐

पक्का (सीसी और स्टोन स्लैब)–01, अर्ध–पक्का (एस्बेस्टस / जीआई शीट, टाइल)–02, कच्चा (घास / फूस, तिरपाल, लकड़ी)–03

27 परिवार के सदस्यों का विवरण

नाम	परिवार के मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)	व्यवसाय	आधार नंबर / आधार वर्चुअल आईडी

28 बैंक विवरण

बैंक खाता संख्या .....बैंक का नाम.....

. शाखा का नाम .....बैंक का आईएफएससी कोड .....

29 क्या आपके पास जन धन योजना खाता है? (हां / नहीं) .....

30 क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है? (हां / नहीं) .....यदि हां तो कार्ड का नंबर.....

31 क्या आपने किसी केन्द्रीय / राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, एसबीएम–यू 2.0, डे–एनयूएलएम, एनएचएम, पीएम–सूर्य घरः मुफ़्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना आदि के तहत लाभ उठाया है? यदि हां, तो योजना का नाम बताएं .....

32 घर के मुखिया के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान .....

33 शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

नोट 1: सभी विवरण केवल आधार कार्ड के अनुसार ही भरे जाने चाहिए।

नोट 2: आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए सहमतिः

क. मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता / करती हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं के प्रमाणन से कोई आपत्ति नहीं है और मैं प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत पक्के मकान का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और / या वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रदान करने के लिए सहमति देता / देती हूँ। मैं समझता / समझती हूँ कि प्रमाणीकरण के लिए प्रदान किए गए आधार नंबर, बायोमेट्रिक और / या ओटीपी का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः

i. मेरी पहचान प्रमाणित करने के लिए और

ii. पिछली आवास योजना, पीएमएवाई–यू 2.0 (ब्याज सब्सिडी योजना सहित सभी घटकों) और पीएमएवाई (ग्रामीण) आदि जैसी अन्य आवास योजनाओं के साथ भी डी–डुप्लीकेशन के लिए।

ख. मैं समझता / समझती हूं कि पीएमएवाई–यू 2.0, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आधार आधारित प्रमाणीकरण के उद्देश्य से प्रदान किए गए मेरे व्यक्तिगत पहचान डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगी।

ग. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि यहां दी गई जानकारी सही है।

नामः .....

आधार संख्याः .....

मोबाइल नंबरः .....

संलग्नकः आधार आईडी की स्व–प्रमाणित प्रति

आवेदक के हस्ताक्षर .....

स्थानः.....दिनांक.....

क्र.....

पावती

श्रीमान / श्रीमती .....पति / पिता श्री.....का प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर / सील